

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.100/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024 / 152)

तारीख दायरा
18.09.2024

तारीख निर्णय
23.12.2024



राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

रूपा आ. लालू जाति बलाई,
निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रूपा वल्द लालू को किये गये भूमि
आवंटन खसरा संख्या 710/8 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा
आवंटन आदेश दिनांक 10.03.1970 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया
है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 100/2024 पर दर्ज
रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/152 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया।
प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब
तहसीलदार डाबी की रिपोर्ट अनुसार रूपा पुत्र लालू जाति मेघवाल की मृत्यु
हो चुकी है एवं मौतबिरानों के अनुसार उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी
नहीं मिलने से उक्त व्यक्ति का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही
नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के वारिसान की सुनवाई किया जाना
संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एवं नायब तहसीलदार डाबी अनुसार आवंटी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान के बारे में ग्रामवासियान को भी पता नहीं है। आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।



न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि रूपा पुत्र लालू कौम बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा को दिनांक 10.03.1970 को भूमि खसरा संख्या 710/8 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गोपालपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गोपालपुरा की नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 710/8 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पर अप्रार्थी रूपा पुत्र लालू जाति बलाई गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार रूपा पुत्र लालू की मृत्यु हो चुकी है एवं मौतबिरानों के अनुसार उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से उक्त व्यक्ति का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। आवंटी के वारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकरण में भी मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। खसरा गिरदावरी रबी (उन्हालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर 54 वर्षों तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना, आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

cf
Janta Khabar Bundi

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रुपा पुत्र लावू कौम बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 710/8 रकबा 1.6187 हैक्टर वाकेंग्राम गोपालपुरा दिनांक 10.03.1970 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करें। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अध्यक्ष गोदारा)
जिला फ़ैसलदारी बुन्दी